



छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

भाग - दो

मांग संख्या – 26, 27, 28, 37, 44 एवं 51 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
श्री बृजमोहन अग्रवाल	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	3 घंटे
	27	स्कूल शिक्षा	
	28	राज्य विधान मण्डल	
	37	पर्यटन	
	44	उच्च शिक्षा	
	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी—मार्च, 2024 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव
भाग – दो में समिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के
कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
 3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
 4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
 5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
 6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
 7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
 8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
 9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
 10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
 11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
 12. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य
 13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
 14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
 15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
 16. श्री व्यास कश्यप, सदस्य
 17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
 18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
 19. श्री संदीप साहू, सदस्य
 20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
 21. श्री इंद्र साव, सदस्य
-

मांग संख्या— 26
संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 90,50,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 30

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कलाकारों के आर्थिक विकास का प्रावधान नहीं है।
 - (2) पंजीकृत रामायण मण्डली, भजन मण्डली को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।
 - (3) छत्तीसगढ़ कल्वरल कनेक्ट योजना का बजट में उल्लेख नहीं है।
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) प्रदेश के लोक कलाकारों को उचित सम्मान दिये जाने एवं लोक संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) लोक कला को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
मस्तूरी विधानसभा के धार्मिक स्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
5. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।
6. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।
7. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कलाकारों के आर्थिक विकास योजना का प्रावधान नहीं है।
 - (2) पंजीकृत रामायण मण्डली, भजन मण्डली को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
 - (3) छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का प्रावधान नहीं है।
8. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) छत्तीसगढ़ पर्व एवं त्यौहारों के आयोजन के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ परब सम्मान निधि योजना के बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (2) छत्तीसगढ़ कल्वरल कनेक्ट योजना का बजट में उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राचीन स्थलों का संरक्षण, संवर्धन का कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कलाकारों के आर्थिक विकास का प्रावधान नहीं है।
- (3) पंजीकृत रामायण मण्डली, भजन मण्डली को प्रोत्साहन राशि दिये जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 27

स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि

रूपये 73,87,66,32,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 20

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के रासकीय स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भवनविहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में नवीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (4) “सरस्वती सायकल योजना” का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) स्कूलों के सफाई कामगारों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (6) प्रदेश के रासकीय स्कूलों में मध्यान्हन भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय के वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के हर बच्चों के लिए नर्सरी से हॉयर सेकेण्डरी तक शिक्षा निःशुल्क करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) 57000 रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए का प्रावधान नहीं है।

3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश की निजी स्कूल के मनमानी फीस रोकने फीस नियामक आयोग के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राथमिक शाला से हॉयर सेकेण्डरी स्कूल तक कृषि शिक्षा के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला बस्तर, वि.ख. बस्तर अंतर्गत संचालित पूर्व माध्यमिक शाला के हाई स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) जिला बस्तर अंतर्गत जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूलों हेतु नवीन शाला भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जिला बस्तर अंतर्गत संचालित हाई स्कूल शाला को हॉयर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित भवनविहीन शालाओं के लिए नवीन शाला भवन बनाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत संचालित शिक्षकविहीन शालाओं में पदपूर्ति / शिक्षक भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

- (9) जिला बस्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) जिला बस्तर के संचालित स्कूलों में छात्राओं को प्रायोगिक विज्ञान हेतु प्रयोग उपकरण खरीदी करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (11) रासकीय कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल, वि.ख. व जिला बस्तर में छात्राओं की सीट संख्या में वृद्धि करेन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) जिला—बस्तर, वि.ख. बकावण्ड अंतर्गत संचालित पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रासकीय शालाओं में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) पूर्व माध्यमिक शाला से हाई स्कूल एवं हाई स्कूल से हॉयर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रासकीय हाई स्कूल जोशी लमनी को हॉयर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) रासकीय प्राथ. शाला टीपानगढ़ को मिडिल स्कूल में उन्नयन करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) रासकीय प्राथमिक शाला पठानहोड़गी को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के रासकीय स्कूलों में शिक्षक के रिक्त पदों की पदस्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम पंचायत ईटवा में हाई स्कूल खोलने का का उल्लेख नहीं है।
- (3) रासकीय हाई स्कूल धनगावां को उन्नयन कर हॉयर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत गतौरा के डेढ़वा पारा में नवीन प्रायमरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत रासकीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

देवरी हायर सेकेण्डरी स्कूल वि.ख. बागबाहरा भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सरस्वती सायकल योजना का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) रासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

- (3) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (4) नवीन प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सरस्वती सायकल योजना हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (2) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (3) नवीन प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।

11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सरस्वती सायकल योजना का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) नवीन प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (3) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (4) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

12. श्री इन्द्र शाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम कंदाड़ी (मानपुर) में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का प्रावधान नहीं है।
- (2) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम करमतरा हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मरकेली हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
- (4) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम सीतागांव हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का अभाव है।
- (5) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम तुराकसा हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम गोपलीनचुआ हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
- (7) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम कंदाड़ी (मोहला) हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (8) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम वासड़ी हाईस्कूल से हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान नहीं है।

- (9) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम उरवाही पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन का प्रावधान नहीं है।
- (10) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मोंगरा पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल से हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (11) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मरकाटोला प्राथमिक शाला स्कूल से पूर्व माध्य. शाला में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (12) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम भानपुर में हायर सेकेण्डरी भवन का उल्लेख नहीं है।
- (13) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम ईशगांव में नवीन हाईस्कूल भवन का प्रावधान नहीं है।
- (14) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम टोहे में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (15) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम भोजटोला में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (16) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम पेदाकोदो में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (17) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मुकाड़ाह में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (18) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मरकेली में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (19) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम मोतीपुर में हाईस्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (20) विधानसभा मोहला—मानपुर के परसाटोला में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (21) शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने संबंधित उल्लेख नहीं है।
- (22) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम करमरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उल्लेख नहीं है।
- (23) विधानसभा मोहला—मानपुर के ग्राम गोटाटोला में हायर सेकेण्डरी भवन का उल्लेख नहीं है।

13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गणेश खपरी वि.ख. डॉडीलोहारा के हाई स्कूल उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुंदेली, वि.ख. डॉडीलोहारा के हाई स्कूल उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेलद, विकासखण्ड गुण्डरदेही के पूर्व माध्यमिक शाला के उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम—सरेखा के हाई स्कूल का उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) स्कूलों के मूलभूत सुविधा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) शिक्षकों के रिक्त पदों के भरने का प्रावधान नहीं है।
- (7) स्कूलों को उन्नयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) नवीन प्राथमिक शाला/पूर्व माध्य. शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (9) सरस्वती सायकल योजना को बजट में शामिल करने का प्रावधान नहीं है।
- (10) रासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के शासकीय स्कूलों में मध्यान्हन योजना बनाने वाले रसोईया के मानदेय में वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) स्कूलों को उन्नयन करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में मूलभूत सुविधा जैसे अहाता, भवन, विद्युत, किचन रोड को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का प्रावधान नहीं है।
- (4) स्कूलों के मूलभूत सुविधा देने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री व्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर चांपा विधानसभा अंतर्गत संचालित जर्जर स्कूल भवन मरम्मत कार्य एंव नवीन भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (2) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (3) नवीन प्राथ./पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (4) सरस्वती सायकल योजना का बजट में प्रावधान नहीं है।

18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नवीन प्राथमिक शाला/पूर्व माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (2) शिक्षकविहीन शालाओं एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (3) शासकीय शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (4) सरस्वती सायकल योजना का बजट में प्रावधान नहीं है।

19. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (2) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालयों के उन्नयन को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के गांवों में संचालित विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-देवरीकला में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) कसडोल विधानसभा क्षेत्र में नवीन विद्यालय निर्माण को लेकर कोई उल्लेख नहीं है।

20. श्री बालेश्वर साहू सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

नवीन स्कूल निर्माण का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।

- (1) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के गांवों में संचालित विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में जर्जर विद्यालय भवनों के उन्नयन हेतु प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 28

राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि

रुपये 84,51,18,,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 47

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 37

पर्यटन

मतदेय राशि

रूपये 2,18,04,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 30

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राम वनगमन पथ के मार्गों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में पूर्व से निर्मित एवं बंद पड़े पर्यटन केन्द्रों/होटलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के वन अभ्यारणों में पर्यटन को विकसित करने का बजट में प्रावधान नहीं है।

2. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तूरी विधानसभा के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों, स्थलों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।

4. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों स्थलों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।

5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटन स्थल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों स्थलों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।

6. श्रीमती शोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राम वन गमन पथ के मार्गों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एंव संरक्षण के संबंध में बजट में प्रावधान नहीं है।

7. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला जांजगीर –चांपा में पर्यटन स्थलों के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटन स्थल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों स्थलों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्राचीन धार्मिक पर्यटन केन्द्रों/स्थलों के अधोसंरचना विकास का प्रावधान नहीं है।

10. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर—चांपा विधानसभा के जांजगीर—पिथमपुर मार्ग जो धार्मिक एवं पर्यटन केन्द्र है उस सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि

रूपये 10,49,08,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 38

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों के भरे जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के रासकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के गरीब छात्रों को सभी प्रोफेशनल कॉलेजों में 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) वीर योद्धा जलरकन भतरा रासकीय महाविद्यालय बकावण्ड, जिला बस्तर में स्नातक की कक्षायें संचालित हैं को स्नातकोत्तर की कक्षायें संचालित/उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) रासकीय महाविद्यालय बकावण्ड, जिला बस्तर में स्नातक की कक्षायें संचालित हैं में स्नातकोत्तर की कक्षायें संचालित करने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) राम उमरवाही में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम गैंदायेता में महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम कुमरदा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नवीन महाविद्यालय पचपेड़ी को मूल भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खल्लारी विकासखण्ड बागबाहरा में महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सोदी की गारंटी छात्रों को कालेज आने—जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउन्स दिय जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय का प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) छात्रों को कालेज आने-जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउन्स दिय जाने का बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोदी की गारंटी छात्रों को आने जाने मासिक ट्रेवल एलाउंस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोदी की गारंटी छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा मोहला मानपुर के ग्राम खड़गान में महाविद्यालय का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) विधान सभा मोहलामानपुर के ग्राम वासडी में नवीन महाविद्यालय का प्रावधान नहीं है।

12. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चारभांठा विकासखण्ड गुण्डरदेही के जोगीमठ स्थल आश्रम में समरसता भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में विश्वस्तरीय कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

13. श्रीमती रोषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने का बजट में में उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों के भरे जाने का प्रावधान नहीं है।

14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के पहरिया, नरियरा, पोड़ीदल्हा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

15. श्री व्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर—चांपा विधानसभा के चांपा नगर में कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) टी.सी.एल. कॉलेज जांजगीर हेतु नवीन सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

16. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोदी की गारंटी छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

17. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मोदी की गारंटी छात्रों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रेवल एलाउंस दिए जाने का बजट में उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

18. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के लवन नगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कसडोल में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कसडोल विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कसडोल में कन्या महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 51
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

मतदेय राशि

रुपये 49,20,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 07

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) अंतराष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजन हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।
- (2) राजिम माधी पुन्नी मेला आयोजन का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहार के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना में बजट प्रावधान नहीं किया गया है।
- (4) प्रदेश में पुरातत्व स्थलों के विकास की कोई कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।
- (5) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में बजट प्रावधान नहीं है।

2. श्रीमती अनिला भैंडिया, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ तीर्थ स्थलों के उन्नयन हेतु वर्तमान बजट का प्रावधान नहीं है।

3. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में बजट प्रावधान नहीं है।

4. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में बजट प्रावधान नहीं है।
- (2) छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की कोई योजना नहीं है।

5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्राचीन स्मारकों की संरक्षण एवं संवर्धन का बजट प्रावधान नहीं है।

6. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

प्राचीन स्मारकों की संरक्षण एवं संवर्धन का बजट में प्रावधान नहीं है।